न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 80/2009 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2009/00004

उनवान

1. बाबू सिंह पुत्र राधाकिशन } जाति ठाकुर निवासी निभेरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. सियाराम पुत्र बाबू सिंह }

.....अपीलांट।

बनाम

1. रमेश } पिसरान लाल सिंह जाति ठाकुर नि0 निभेरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
2. विजय सिंह }
3. गुड्डी वेवा केदार जाति ठाकुर निवासी निभेरा तह0 रूपवास।
4. नीरू उम्र 16 साल
5. रेनु उम्र 13 साल
6. चन्दन सिंह उम्र 11 साल } पिसरान केदार ठाकुर नि0 निभेरा नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती गुड्डी वेवा केदार ठाकुर निवासी निभेरा तह0 रूपवास माता खुद।
7. प्रीति उम्र 9 साल
8. देवू उम्र 6 साल
9. श्रीमती लीला वेवा लाल सिंह ठाकुर निवासी निभेरा तहसील रूपवास।
10. रामकुमार
11. बृजराज सिंह } पिसरान अतर सिंह ठाकुर निभेरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
12. कृष्ण कुमार
13. वीरन सिंह } पिसरान प्रताप सिंह ठाकुर निवासी निभेरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
14. हरीओम }

..... असल रेस्पोंडेंट।

15. निनुआ पुत्र राधाकिशन } जाति ठाकुर निवासी निभेरा तहसील रूपवास
16. भूरा पुत्र निनुआ }

.....तरवीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दि0 29.07.2009 मि.नं. 141/03 उनवानी रमेश बनाम बाबू सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री महाराज सिंह उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–20.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम निभेरा तहसील रूपवास के 3/4 भाग के रैस्पो0/वादीगण वहिस्सा बराबर व शेष 1/4 भाग के तस्तीवी रैस्पो0/प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं एवं इसी प्रकार मौके पर काश्त कर रहे हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एक लठैत किस्म के ताकतवर व्यक्ति हैं, जो रैस्पो0/वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने व विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा, उनके पूर्वजों के समय से ताहाल तक चला आ रहा है तथा संवत 2019 तक अपीलाण्ट के पूर्व उक्त भूमि पर खुदकाश्त दर्ज हैं एवं तभी से कब्जा चला आ रहा है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा एवं ना ही वर्तमान में है। रैस्पो0 ने उक्त भूमि हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपने नाम कराई है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के उक्त तथ्य को नजरन्दाज करते हुए दावा रैस्पो0 डिक्री किये जाने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान रैस्पो0 अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही पूर्व में कभी रहा है। अपीलाण्ट लठैत किस्म के व्यक्ति हैं, जो विवादित आराजी से रैस्पो0 को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित छः तनकियात कायम की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **''आया वादपत्र की चरण संख्या 01 के वर्णानुसार वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आरजी की चरण संख्या 01 में अंकित हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं''** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2057–60 प्रदर्श–1 अनुसार रैस्पो0/वादीगण विवादित भूमि के 3/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 ''प्रविष्टियों के रूप में अनुमान'' के तहत यह अंकन तब तक सही माना जावेगा, जब तक कि इसे गलत सिद्ध नही किया जावें। अपीलाधीन प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नही है, जो इस अंकन को चुनौती देता हो। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय उनके पिता राधाकिशन की खुदकाश्त भूमि दर्ज रही हो। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहान की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकी वहक रैस्पो0/वादीगण किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> **'' आया दिनांक 19.09.2003 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को इस आशय की धमकी दी कि उन्हें मौके से बेदखल कर देंगें, की धमकी से वादकरण पैदा हुआ''** हम अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में भी कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादी का स्वयं जिरह में, विवादित भूमि बाबत् झगडा होना एवं थाने में मुकदमा दर्ज होना स्वीकार किया है।

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **''आया वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है''** जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना तय हो चुका है। चूंकि अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के विवादित आराजी में कोई स्वत्व अधिकार नहीं पाये गये हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख में रैस्पो0/वादीगण, विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं एवं मौके पर काबिज हैं। अतः वह अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा, पाबन्द कराने के अधिकारी होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत् निष्कर्ष भी त्रुटिहीन हैं।

9. <u>तनकी संख्या 04 व 05</u>– तनकी संख्या 01 लगायत 03 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी 01 लगायत 03 वहक रैस्पो0/वादीगण निर्णित हुई है। अतः तनकी 04 व 05 अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10. **अनुतोष** – सभी तनकियात खिलाफ अपीलाण्ट/प्रतिवादी पाई गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेख रैस्पो0/वादीगण का समर्थन करते हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2009 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official